उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 15 फरवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–21/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा समाप्त किये गये "स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता" के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे कार्मिकों को, जिन्हें स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता स्वीकृत है, को उक्त भत्ते की अपुनरीक्षित वेतनमान (छठवें वेतनमान) में देय धनराशि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत् (फ्रीज) रखते हुए अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कार्यालय–ज्ञाप जारी होने के पश्चात् उक्त भत्ता अब स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या–21/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 56 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner